इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 8973-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 29 मार्च, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१२

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची-१ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"१. वेट अधिनियम की अनुसूची-१ तथा अनुसूची-२ के भाग एक में, विनिर्दिष्ट माल.";

(दो) अनुक्रमांक १० तथा ११ और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"१०. कपास (ओटी हुई या बिना ओटी हुई) और कॉटन वेस्ट";

११. समस्त प्रकार के यार्न एवं यार्न वेस्ट.".

(तीन) अनुक्रमांक १४ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"१५. सभी प्रकार की धातु की कॉस्टिंग्स.

१६. लौह और अलौह धातु तथा एलॉयज; अलौह धातु जैसे—एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, धातु स्क्रैप.".

अनुसूची-२ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-२

(धारा ४, ९ तथा १२ देखिए)

अनुक्रमांक (१)	माल का विवरण (२)	कर की दर (प्रतिशत) (३)
	भाग-एक	
१.	वेट अधिनियम की अनुसूची-२ के भाग-दो में विनिर्दिष्ट माल, नीचे विनिर्दिष्ट माल को छोड़कर,—	१
	(१) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा १४ के खण्ड (चार) में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात	
	(२) कोयला, जिसमें सभी प्रकार के कोक सम्मिलित हैं, परन्तु चारकोल को छोड़कर	

(१)	(२)	(३)
	(३) घरेलू उपयोग में आने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)	
२.	डीजल (लाईट डीजल ऑयल और फर्नेस आईल सहित)	१
३.	पेट्रोल	१
	भाग-दो	
१.	(क) तम्बाकू युक्त पान मसाला और तम्बाकू युक्त गुटका.	२५
	(ख) ऊपर (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न पान मसाला और गुटका.	१२.५
२.	सिगार, चुरूट, सिगरेट और तम्बाकू की सिगारिल्लो एवं बीड़ी.	१०
३.	घरेलू उपयोग में आने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.).	६.४७
४.	(क) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा १४ के खण्ड (चार) में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात, सभी प्रकार की इस्पात की छड़ें तथा एंगल्स को छोड़कर.	२
	(ख) सभी प्रकार की इस्पात की छड़ें तथा एंगल्स	५
५.	कोयला जिसमें सभी प्रकार के कोक सम्मिलित हैं परन्तु चारकोल को छोड़कर.	३
	भाग-तीन	
१.	अनुसूची-१, इस अनुसूची के किसी अन्य भाग तथा अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न सभी माल.	२''.

अनुसूची-३ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की अनुसूची-३ में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१२-१३ के लिये बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट प्रवेश कर प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) में समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २६ मार्च, २०१२.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.